maternity benefit schemes have been introduced for landless agricultural women workers.

Recently, a new scheme viz., NSAS (National Social Assistance Scheme) for the poor comprising old age pension @ Rs. 75/- per month to destitutes over 65 years of age, family benefit of Rs. 5,000/- & Rs. 10,000/- in case of natural and accidental death respectively of the primary bread winner of the household below poverty line and maternity benefit @ Rs. 300/- for the first two live births to poor women has been announced over and above the prevailing social security programmes ran by the State Governments.

Additionally Government is also contemplating to formulate and introduce seen a comprehensive Central Legislation to provide for health, safety & Welfare of agricultural workers.

दहकती कोयला खानों में आग को नियंत्रित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही किया जाना

794. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत कोकिंग कोल लि॰ की कुछ कोयला खानों में पिछले सात दशकों से आग लगी हुई है, जैसा कि 24 जुलाई, 1995 के ''इकोनोमिक टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार में बताया गया है;
 - (ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अग्नि-नियंत्रण के संबंध में विश्व बैंक के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है;
 - (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र में पहली बार कोयला क्षेत्रों में आग की सूचना 1916 में प्राप्त हुई थी। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद उपयुक्त रूप में सर्वेक्षण कार्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कोयला क्षेत्र के विभिन्न भागों में 70 आगों के लगभग 17 किलो मीटर के क्षेत्र में फैलने संबंधी क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया था। इस संबंध में किए गए निरन्तर प्रयासों से 9 आगों को पूर्णतया बुझा लिया गया है और अभी तक उनका परिसमापन कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) झरिया कोयला अग्नि नियंत्रण तकनीको सहायता परियोजना के अंतर्गत, जोकि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, झरिया कोयला क्षेत्र आगों से संबंधित एक नैदानिक अध्ययन को जून, 1996 में पूरा कर लिया गया है। अंतिम रिपोर्ट को तैयार किए जाने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Upgradation and Modernisation of Public Sector Steel Plants

795. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

- (a) the Government Policy regarding upgradation of technology and modernisation of existing public sector steel plants;
- (b) whether the long pendency in the modernisation of Indian Iron and Steel Company (IISCO) of Burnpur, West Bengal, which is since then referred to BIFR has been agitating the trade union movement and Government of West bengal; and
- (c) the steps taken by Government to modernise the IISCO plant and what is its present status?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) Assessment of the need for upgradation of technology and modernisation is made on a number of factors such as technological obsolescence, overcoming production bottlenecks, improving plant and equipment health for optimum utilisation of capacity, improving productivity and enhancing quality of products, improving yield, conserving energy, economising cost of production, improving the technoeconomics, abating environmental pollution etc.

(b) Yes, Sir.

139

(c) As Indian Iron & Steel Company Limited (IISCO) has been referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), any scheme to be taken up for modernisation of IISCO will have to be in accordance with the orders of the BIFR in this regard. Regarding the present status, SAIL, as advised by the Government, has submitted to the BIFR in the hearing on 18/07/1996 that it would explore the possibility of revival/modernisation of IISCO through a Joint Venture arrangement, subject to SAIL continuing to retain majority sharcholding in the Joint Venture.

Disinvestment of Shares of Public Sector Undertakings

796. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) Whether Government's attention has been drawn to a study by the Indira Gandhi Institute for Research and Development suggesting that the first three rounds of disinvestment of shares of public undertakings has involved a loss for Government to the extent of Rs. 10,000 crore;
- (b) whether any enquiry is proposed to check the veracity of this finding; and
- (c) measures proposed to prevent similar losses from disinvestment activities, should these be resumed?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The reference to loss in first three rounds of disinvestment of PSU shares by the Indira Gandhi Institute for Research and Development, Bombay, in their Midyear review of the Economy 1994-95 is not based on a proper appreciation of facts. The matter has been looked into by the Public Accounts Committee of the Parliament.

रोजगार में वृद्धि की दर में कमी

797. श्री ईश दत्त यादव:
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मगंगोलाः

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989 के बाद से रोजगार में वृद्धि की दर में कमी आई हैं:
 - (ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है: और
- (ग) सरकार कृषि क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि को दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा पंचवर्षीय अंतराल में किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं। रोजगार एवं बेरोजगारी पर एन एस एस ओ का 43वां सर्वेक्षण 1987-88 में आयोजित किया गया एन एस एस ओ द्वारा व्यापक सर्वेक्षण का आगामी 50 वां सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया है, जिसके परिणामों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। एन एस एस० ओ॰ के 50 वें सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने पर ही रोजगार वृद्धि के वर्तमान रूप का पता चल सकेगा।

(ग) आठवीं योजना की कृषि क्षेत्र संबंधी रोजगार नीति में कृषि का तीव्रतर एवं भौगोलिक रूप से विविधीकृत विकास तािक अब तक के पिछड़े क्षेत्रों में कृषि-विकास संबंधी अधिक अंशदान हो, उच्च स्तर को कृषि का विविधीकरण, अधिक श्रम-गहन फसलें जैसे सब्जी एवं फल विशेषतः उच्च विकसित कृषीय क्षेत्रों में, डेरी, मुर्गी-पालन, मस्य पालन एवं कोशकीट पालन जैसे कृषि आधारित तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए आधारभूत संरचना एवं विपणन व्यवस्था का विकास करना, उपज तथा वानिकी हेतु बंजर भूमि के विकास एवं उपयोग हेतु एक विस्तृत कार्य-क्रम सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों हेतु योजनाएं

798. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: कया श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि
 श्रमिकों के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत कल्याण योजनाओं
 का ब्यौरा क्या है;